संख्या–2014 / 33–1–2006 / 2000टीसी– I

प्रेषक,

अनीस अंसारी,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त मुख्य विकास अधिकारी उत्तर प्रदेश।
3– समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग–1 लखनऊ दिनांकः 12 जुलाई, 2006

विषयः ग्राम विकास अधिकारियों को ग्राम पंचायतों के नियामक कार्यो के सम्पादन का अतिरिक्त दायित्व सौंपा जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ठ कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम विकास अधिकारी द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यो की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए इस कर्मियों को उनके कार्य क्षेत्रान्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण में रखने का निर्णय लिया गया है। अतः ग्राम विकास अधिकारी अब अपने कार्य क्षेत्र में पड़ने वाली ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण में रहते हुए ही अपने विभागीय कार्यो एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

2– ग्राम विकास अधिकारियों को अपने पूर्व निर्धारित दायित्वों के साथ–साथ अपने क्षेत्रान्तर्गत अधिकतम 4 ग्राम पंचायतों में सचिव, ग्राम पंचायत का कार्य करने के लिये संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 25–क के प्राविधानों के अन्तर्गत एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है। सचिव, ग्राम पंचायत के दायित्वों के निवर्हन हेतु ग्राम पंचायतों का आवंटन का अधिकार जिलाधिकारी में निहित होगा, जिसका प्रस्ताव जिला पंचायत राज अधिकारी द्वज्ञरा मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।

3– ग्राम पंचायतों के नियामक कार्यो से संबंधित किसी कृत्य में शिथिलता दर्शाने पर ग्राम विकास अधिकारियों को लघु दण्ड देने का अधिकार जिला पंचायत राज अधिकारी को होगा किन्तु दीर्घ दण्ड पूर्ववत ग्राम विकास अधिकारी के नियुक्ति प्राधिकारी में ही निहित रहेगा।

4– ग्राम पंचायतों के नियामक दायित्वों के निर्वहन हेतु इन कर्मियों को पृथक से कोई वेतन, भत्ता आदि देय नहीं होगा।

5– ग्राम विकास अधिकारियों को ग्राम पंचायतों के आवंटन की प्रस्तर–2 में उल्लिखित कार्यवाही प्रत्येक दशा में एक सप्ताह में पूर्ण कर ली जाये, ताकि विकास कार्य प्रभावित न हो।

6– ग्राम विकास अधिकाहरी को ग्राम पंचायतों के नियामक कार्यो के सम्पादन का दायित्व सौंपे जाने हेतु उक्त निर्देश मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विभिन्न विशेष अनुज्ञा याचिकाओं में अन्तर्ग्रस्त सिंचाई विभाग के नलकूप चालकों के अधिकारों एवं दावों को प्रभावित किए बिना निर्गत किए जा रहे हैं और यह आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित होने

वाले आदेशों के अधीन होंगे अर्थात प्रकरण में मा0 उच्चतम न्यायालय का आदेश ही अंतिम होगा।

7— उक्त आदेश ग्राम्य विकास विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं। कृपया उक्त आदेशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से परिपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
ह0
(अनीस अंसारी)
कृषि उत्पादन आयुक्त।

<u>संख्या—2014(1)/33—1—2006 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन।
3. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0, लखनऊ।
5. स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिवच, उ0प्र0 शासन।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मण्डलीय उप निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
ह0
(   )